

पंचायती राज और ई-गवर्नेस**सारांश**

आज का युग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर का युग है। इसलिए इस युग में पंचायतों में ई-गवर्नेस का होना नितान्त आवश्यक है। भारत में ई-पंचायत की पहचान ई-शासन के अन्तर्गत (मिशन मोड प्रोजेक्ट) के रूप में की गई है। पंचायतों में ई-गवर्नेस से गाँव में ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण, व्यापार, मकान कर, पेंशन, कार्य निरीक्षण, वित्तीय लेखांकन, बाजार भाव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है साथ ही पंचायती प्रशासन में पारदर्शिता का विकास होगा तथा दिन-प्रतिदिन की कार्य प्रणाली सरल होगी।

मुख्य शब्द : कम्प्यूटर, ई-गवर्नेस, सूचना तकनीक, ई-पंचायत।

प्रस्तावना

इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेस या ई-गवर्नेस के पीछे बुनियादी सोच यह है कि शासन के काम-काज में सूचना तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। पंचायतों में ई-गवर्नेस का मतलब यह है कि आप गाँव से ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण, मकान कर मूल्यांकन वसूली, व्यापार लाइसेंस, पेंशन, कार्य निरीक्षण, वित्तीय लेखाकरण, बाजार भाव आदि के बारे में गाँव से ही जानकारी लेते हुए देश या विश्व कुटुंब का हिस्सा बन जाए। कम्प्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से देशभर की पंचायतों की प्रगति और नागरिक सुविधाओं की जानकारी छोटे से छोटे गाँव से भी ली जा सके। इससे पंचायती प्रशासन में पारदर्शिता का भी विकास होता है और दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रक्रिया को सरलीकृत किया जा सकता है। पंचायती राज पर ई-गवर्नेस के बारे में बात की जाए तो यह अभी प्रारंभिक स्तर पर है। हालांकि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने एक पंचायती राज पोर्टल विकसित किया है।

**जितेन्द्र सिंह**

व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय एम.एस.जे.कॉलेज,
भरतपुर

देश में पहली बार 'ई-पंचायत' या इलेक्ट्रॉनिक सूचना आधारित पंचायत का केन्द्र, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा आन्ध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। राजधानी हैदराबाद के समीप मेडक जिले के रामचंद्रपुरम् ग्राम पंचायत में प्रायोगिक तौर पर इसका शुभारंभ किया गया। यहां पंचायत के सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत हैं और इंटरनेट की सुविधा भी है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण, मकान कर मूल्यांकन वसूली, व्यापार अनुज्ञप्ति/लाइसेंस, वृद्धा पेंशन, कार्य निरीक्षण, वित्तीय लेखाकरण, पंचायत प्रशासन के कार्य संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को ई-पंचायत से बाजार मूल्य एवं कृषि विस्तार परामर्श जैसे सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस परियोजना को पश्चिमी गोदावरी जिले के दंडुलुरु और पेद्दपाडु तथा अनंतपुर ग्रामीण ग्राम पंचायत के साथ आन्ध्र प्रदेश के सभी गांवों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की कोशिश चल रही है। राजस्थान में 'नायला' पहला गाँव था जहां 'जलनिधि' नाम का सूचना केन्द्र खुला था।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने एक राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल Panchyat.gov.in विकसित किया है जो पंचायत के लिए गतिशील वेबसाइट के संदर्भ में उपयोगी है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य पंचायती राज विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं सेवाओं तक पहुंचने में सहायक होती है साथ ही उसमें सूचना, विषय-वस्तु, लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं। यह पोर्टल लोगों को पंचायतों से जोड़ने तथा पंचायतों को आपस में जोड़ने में सहायक है। मुश्किल यही है कि यह फिलहाल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, पंचायतों से संबंधित बातें हिंदी में डालने का काम अभी चल रहा है। एनआईसी से कुछ अंतिम समाधान वर्तमान में उपलब्ध हैं जिन्हें पंचायती राज संस्थानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियासॉफ्ट (तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़) प्रियासाफ्ट आरथी (कर्नाटक), प्रियासॉफ्ट-ई पंचायत (आन्ध्र प्रदेश) सॉफ्टवेयर मोड्यूलों का कार्यान्वयन किया गया है जिसमें ग्राम-पंचायतों से जुड़े ऐसे कार्य किए जाते हैं

1. व्यापार लाइसेंस तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
2. आवास संबंधी सेवाएं
3. जन्म एवं मृत्यु, आय एवं संपन्नता का प्रमाण पत्र
4. पंचायत एजेंडा, वोटिंग, संकल्प की आंतरिक प्रक्रिया का प्रसार
5. ग्राम सभा की कार्यवाही तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट
6. निधियों की प्राप्ति/प्रगति रिपोर्ट
7. बीपीएल डेटा, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्तर का प्रचार-प्रसार।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने कर्नाटक में आरडीपीआर और ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड के लिए दो कार्यप्रणाली विकसित की है। ये हैं— 'अस्थि' ग्राम पंचायत के लिए संपत्ति कर मोड्यूल, 'सामान्य महिति' तथा 'आश्रय' — ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न आवासीय योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी व्यवस्था। सामान्य महिति को सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है जबकि कुछ जिलों में तालुका स्तर पर आंकड़ों की प्रविष्टि भी की जा रही है। बंगलुरु में सचिवालय के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर टच स्क्रीन कियोस्क को भी स्थापित किया गया है। संपत्ति कर मोड्यूल तैयार है। ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्ध होते ही इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा लेखांकन के साथ समन्वित करने का भी प्रस्ताव है। आश्रय को उपायुक्त कार्यालयों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सभी तालुका कार्यालयों में क्रियान्वित कर दिया गया है। कुछ अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में डाटा एंट्री भी की जा रही है। 'रुरल सॉफ्ट', ग्रामीण बाजार और डीआरडीए पोर्टल केरल में ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे पंचायतों और ग्रामीण समुदाय के लिए आईसीटी पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस आईसीटी उपकरण के माध्यम से जिला, राज्य, केन्द्र स्तर पर योजनाओं की उपलब्धियों का प्रभावी ढंग से और पारदर्शितापूर्वक निरीक्षण किया जा सकेगा। यह प्रशासनिक अधिकारियों को निचले स्तर पर क्रियान्वित की गई योजनाओं की वस्तुस्थिति जानने में मदद करेगी।

'नागरिक सेवा' सॉफ्टवेयर आम नागरिकों को ग्राम पंचायत एवं खंड पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ग्राम कुओं का खुदाई कार्यक्रम, स्कूल भवनों का निर्माण आदि कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सरकार को उससे संबंधित प्रतिक्रिया मिलती रहेगी कि किसी क्षेत्र विशेष में अन्य किस आधारभूत संरचना की जरूरत है। इससे सरकार को आम लोगों की सेवा हेतु बेहतर सुविधा सृजन में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना ने पंचायत की पहचान एक 'मिशन मोड परियोजना' के रूप में की है। मिशन मोड परियोजना को पंचायतों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे

विश्वसनीय दूर संचार बुनियादी ढांचे की कमी, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में विलंब (लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि), ग्राम पंचायत स्तर पर स्कीम कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम राजस्व एकत्र करना, स्कीमों के लिए निगरानी तंत्र की कमी। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, तथा तमिलनाडु ने ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण आरंभ कर दिया है बाकी राज्य भी इस राह पर है। वास्तव में पंचायती राज में ई-गवर्नेंस की राह में बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती है साथ ही पंचायत में इस संबंध में जागरूकता का भी अभाव है। ई-गवर्नेंस अपने चरण और आगे बढ़ाती है तो पंचायत के काम-काज में गति और पारदर्शिता बढ़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

उद्देश्य

आज के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर युग में पंचायतों का कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ना आवश्यक है। पंचायतों के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर से जुड़ने से ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य करेंगी। शहर व गावों के बीच जो खाई है, अन्तर है, उसको पाटने में सहायता मिलेगी, तथा गावों का विकास होगा व गांव भी स्मार्ट बनने लगेंगे। ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ने से पंचायतों के कार्यों को गति मिलेगी व ग्रामीण विकास को दिशा मिलेगी। इससे पंचायतों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट व नागरिक सुविधाओं की जानकारी के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट व नागरिक सुविधाओं की जानकारी छोटे-छोटे गावों में ली जा सकेगी। इससे पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, इमानदारी व जबाबदेही बढ़ेगी तथा प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके अनेकों कार्य जैसे— जन्म और मृत्यु पंजीकरण, मकान कर मूल्यांकन, नल-बिजली आदि के बिल, विवाह पंजीयन, पेंशन कार्य, आधार बनवाने का कार्य आदि पंचायत स्तर पर ही हो जायेंगे, जिससे ग्रामीणों के समय व धन दोनों की बचत होगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का कम्प्यूटीकरण होने व नेटवर्क से जुड़ने के कारण ग्रामीण विकास को गति मिल रही है, ग्रामीण जीवन सरल हो रहा है तथा छोटे-छोटे कार्य स्थानीय स्तर पर ही होने लगे हैं। लेकिन पंचायती राज में ई-गवर्नेंस की राह में बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी चुनौती है। पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों का ई-साक्षर न होना, प्रभावी कम्प्यूटर नेटवर्क का न होना, कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का न होना आदि पंचायती राज के ई-गवर्नेंस होने के मार्ग में बाधा खड़ी करते हैं। लेकिन सच्चाई यह कि यदि पंचायती राज का प्रभावी कम्प्यूटीकरण अधिक से अधिक होता है व प्रभावी नेटवर्क से जुड़ते हैं तथा पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी कम्प्यूटर की प्रक्रिया से प्रशिक्षित होते हैं, तो पंचायती राज के काम-काज में गति व पारदर्शिता बढ़ेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पुरोहित, सं. अमि, सं. अमित, "पंचायती राज व्यवस्था" पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, 2013
2. गुप्ता, विश्वनाथ "भारत में पंचायती राज व्यवस्था" सुरभि प्रकाशन प्रीति विहार, दिल्ली, 2015
3. कुमार, अनूप "भारत में पंचायती राज" त्रिशूल बुक सर्विस, नई दिल्ली – 2015
4. पंचायत पोर्टल – Panchyat.gov.in